महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

क्रमांक : प.07( )मगसिंविबी/शैक्ष./2016/ 25151 to 24517 दिनांक : 27-8-16

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना महाविद्यालयों द्वारा संकाय बंद करने के कारण सम्बद्धता एवं विलम्ब शुल्क की वसूली/छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की 27 वीं बैठक दिनांक 16.07.2016 के विनिर्णय संख्या बोम-27/2016/336 की पालना में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :-

1. जिन महाविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम/विषय संचालन के अंतिम वर्ष तक की सम्बद्धता शुल्क राशि विश्वविद्यालय में जमा करा दी गई उनको पश्चातवर्त्ती सत्रों (संकाय/विषय पूर्णतः बंद होने पर) के सम्बद्वता शुल्क/विलम्ब शुल्क जमा कराने में छूट प्रदान की जाती है।
2. जिन महाविद्यालयों ने चरणबद्ध रूप से पाठ्यक्रम/विषयों का संचालन तो बंद कर दिया किन्तु सम्बद्वता शुल्क जमा नहीं कराया, उनसे नियमानुसार सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क वसूल किया जावे।
3. जिन महाविद्यालयों द्वारा प्रथम वर्ष में संकाय/विषय का संचालन बंद करने की सूचना उस सत्र के 31 अगस्त तक विश्वविद्यालय को प्रदान नहीं करने पर 5000/- रू. की शास्ति आरोपित की जावे।
4. महाविद्यालयों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में संकाय/विषय का संचालन बंद करने की सूचना द्वितीय सत्र के 31 अगस्त तक प्रदान नहीं करने पर 10,000/- रू. की शास्ति आरोपित की जावे।
5. महाविद्यालयों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में संकाय/विषय का संचालन बंद करने की सूचना तृतीय वर्ष के 31 अगस्त तक प्रदान नहीं करने पर 15000/- की शास्ति आरोपित की जावे।
6. राजकीय महाविद्यालयों द्वारा उक्त अवधि में राज्य सरकार को सूचित किये जाने पर शास्ति आरोपित नही की जाए।

कुलसचिव

क्रमांक : प.07( )मगसिंविबी/शैक्ष./2016/
दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-.

1. निजी सचिव–कुलपति, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. निजी सहायक–कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. समस्त प्राचार्य, सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. आहरण–वितरण अधिकारी, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. प्रभारी अधिकारी–विश्वविद्यालय वेबसाइट को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव (शैक्ष.)